

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
18.11.21	<p>पत्रावली) पेवा हुई) बार-बार आपाज लगावसे जाने से बाद भी न ले अग्रिमाषक अपीलान्त और न ही स्वयं (अपीलान्त उपस्थित आया। अतः अपील अपीलान्त अदम हाजिरी (अदम पेशी) से रकारिज की जाती है। पत्रावली फैसल गुम्राए होकर, मम्बर से कम की जाकर बाद तदर्थ आहवा दारिजल दस्तपर की जावे। X</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>